

फर्द अहकाम

न्यायालय सुदामपुर कलक्टर कस्बी कि जयपुर

श्री गीलाल बनाम पूरख

मुकदमा संख्या/वर्ष : 43 / 2022

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अध्यापी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय सुना गया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं कस्बी अधिवक्ता द्वारा दौरान कक्ष जाद्वि तथ्यों पर मन्त्र करने के उपरान्त उचित समझते हुए विवादि आराजी खलरा नं. 158, 159, 160, 168, 169, 184, 180, 181, 190, 191, 206, 214/2, 215/2, 216, 215, 217, 222, 223, 220, 251, 252, 255/2, 247/1, 246, 247/30, 247/9, 247, 256, 247/24, 247/26, 259 व 247/29 दिप्त ग्राम डैवगांव प.ड. डैवगांव तह. कस्बी हाल तह. लूंगा जि. जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगण को जरिये अध्यापी निषेधाज्ञा</p>

फर्द अहकाम

न्यायालय रफायत कलक्टर वस्ती के जयपुर

सांगीलाल बनाम पूरण

मुकदमा संख्या / वर्ष : 43 / 2022

50स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p> से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थित उक्त विवादित आराजी पर सांगीलाल मूलवाद सं. 50/2022 के मोर्के व रिक्वाड की प्रथास्विति बनाये रखें। मार्थी के कलजे काश्त में किसी भी प्रकार की दरखलदाजी न करें। पजावली के लल लुमार होकर दर्ज नम्बर से काम होकर बाद तकलीम दाखिल दफ्तर हो। </p>	